(133)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

477
10.11.14

Rs. 20/-

R. 3899-III/14

रामनिवास कुशवाहा तनय श्री काशी प्रसाद कुशवाहा, साकिन महुरछ कंदैला, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना, (म.प्र.)

.... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामाश्रय कुशवाहा तनय काशी प्रसाद कुशवाहा, साकिन महुरछ कंदैला, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना, (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन।

.... अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

श्री राकेश मिश्रा एड के द्वारा आज दिनांक 10-11-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 166 / अपील / 2010–11 आदेश दिनांक 08.09.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

क्रमांक ______ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ का प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

:: **संक्षिप्त तथ्य** ::

क्रमांक 3633 ... आज 13/11/14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. यह कि आवेदक / निगरानीकर्ता के द्वारा तहसीलदार महोदय, प्रभारी वृत्त सज्जनपुर, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी नं. 78, 79, 80, 81, कुल किता 4, रकबा 3.00 एकड़ आवेदक के भूमि स्वामित्व की आराजी है, जो उसके चचेरे बाबा के द्वारा उसे दी गई थी लेकिन अनावेदक द्वारा हल्का पटवारी से मिल, मिलाकर अवैधानिक तरीके से

10/11/14

(33)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक ....R-3899-तीन/14.... जिला–......सतना......

......राम निवास कुशवाह......विरूद्ध......रामाजप कुशवाह......

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री......राकेश कुमार निगम......अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवां के प्रकरण क्रमांक......166/अपील/2010-11......में पारित आदेश दिनांक......8-2-14......के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक......10-11-14......प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	